

④

- 1- परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोगाँव में बड़कोट तिल्ली हल्का मोटे मार्ग को मोटे मार्ग में परिवर्तित करने एवं डाबरीकरण का कार्य
- 2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में)

आरक्षित वन भूमि	X	हे०
सिविल सोयम भूमि	0.553	हे०
नाप भूमि	0.067	हे०
वन पंचायत भूमि	X	हे०
- 3- प्रस्तावक विभाग का नाम - अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट
- 4- वन प्रभाग का नाम - यमुना वन प्रभाग बड़कोट
- 5- प्रस्ताव बाइडिंग किया गया - हाँ/नहीं
- 6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है - हाँ/नहीं
- 7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3, के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - हाँ/नहीं
- 8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हाँ/नहीं
- 9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
- 10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न हैं - हाँ/नहीं

- 11— बांज प्रजातियों के वृक्षों की संख्या के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थानीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 12— प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक हैं तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 13— समरेखण में आने वाले कुछ आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 14— क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 15— क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपक की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 16— क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 17— प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 18— क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण योजना संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 19— प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 20— क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 21— प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे नाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) — ~~हाँ/नहीं~~
- 22— क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 23— यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 24— क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 25— यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जायें — ~~हाँ/नहीं~~
- 26— सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं — ~~हाँ/नहीं~~

- 27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण
(एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) — ~~हाँ/नहीं~~
- 28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत हैं
(5 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू होंगे) — ~~हाँ/नहीं~~
- 29- मानचित्र व चार्ट एकरूपता हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 30- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- अथवा
- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 31- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र
प्रस्ताव में संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 32- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में — ~~हाँ/नहीं~~
- 33- यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण
पत्र संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 34- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 35- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में योजना का नाम अंकित हैं — ~~हाँ/नहीं~~
- 36- क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं — ~~हाँ/नहीं~~

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनाये संलग्न कर दी गयी हैं



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट



अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी भरे जाने के लिए)

1- परियोजना विवरण:- जनपद उत्तरकाशी के विभिन्न खण्डों में बड़े-बड़े नालों में बड़े-बड़े तिलानों में हल्का मोटा मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं पंचायतों का कार्य

(क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना स्कीम का संक्षिप्त विवरण

(ख) 1.50.000 स्केल मैप पर वन भूमि — 1.50.000 का मानचित्र संलग्न है
और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

(ग) परियोजना की लागत — लाख

(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य — अन्य समरेखण से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं हैं

(ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये — संलग्न हैं

(च) रोजगार जिसके पैदा होने की सम्भावना हैं — क्षेत्र में अस्थाई रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र में उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगा, तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण

1	आरक्षित वन भूमि	- NIL
2	सिविल सोयम भूमि	- 0.553 हे.
3	वन पंचायत भूमि	- NIL
	कुल वन भूमि	- 0.553 हे.

- 3— परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण यदि कोई हों
- (क) परियोजना की संख्या — शून्य
- (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या — शून्य
- (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) — शून्य
- 4— क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (हाँ/नही) — नहीं
- 5— प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डास्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र यदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) — क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम संलग्न है एवं पुनः वनीकरण की वचनबद्धता संलग्न है
- 6— निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजो का ब्यौरा — निदेशानुसार प्रमाण-पत्र संलग्न है

दिनांक

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान

प्रस्ताव की कम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट


अध्यासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट


कनिष्ठ अभियन्ता

(प्रपत्र-2)

भाग-

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

परियोजना स्कीम का स्थान:-

- (प) राज्य संध शासित क्षेत्र — उत्तराखण्ड राज्य
- (पप) जिला — उत्तरकाशी
- (पपप) वन प्रभाग — अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट
- (पअ) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में) — आरक्षित भूमि nil है०
सिविल सोयम 0.553 है०
वन पंचायत भूमि nil है०
कुल वन भूमि 0.553 है०
- (अ) वन की कानूनी स्थिति — सिविल सोयम वन पंचायत भूमि
- (अप) हरियाली का घनत्व —
- (अपप) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाय सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-8 मीटर पर परिगणना भी संलग्न किया जायें — मोटर मार्ग के निर्माण में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनकी सूची संलग्न हैं
- (अपपप) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी — संलग्न हैं
- (पग) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा में अनुमानित दूरी — अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन की सीमा से दूरी
- (ग) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व बाध रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें)
- (गप) क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ /सकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि है/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें — नहीं
- (गपप) क्या सुरक्षित पुरातात्विक/प्रारम्भिक स्थल/ रथा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक — नहीं

क्षेत्र में स्थित है यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो यां

- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपहिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाचे गए विकल्पो के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं हैं
- मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है प्रतावक विभाग द्वारा दर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य
- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हों/नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं
- निजी (वन अधिनियम का उलंघन नहीं है)

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- (प) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र, अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इनकी दूरी भू-खण्डों की संख्या आरक्षित वन भूमि से लगभग कि०मी० की दूरी पर स्थित है 1.50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है प्रतिपूरक वनीकरण में किया जाना प्रस्तावित हैं
- की प्रत्येक भू-खण्ड का आकारं
- (पप) प्रत्येक भू-खण्ड का आकारं प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मेंपं 1.50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न हैं
- (पपप) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाचा आदिं
- (अप) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्ययं
- (अ) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएं) चयनित प्रजातियां प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उचित चयन की गयी है तथा हस्ताक्षरित है
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम (गपए गपप) 8 और 9 में पुछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है
12. विभाग/जिला प्रोफाइल अपर यमुना वन प्रभाग जिला उत्तरकाशी
- (प) जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल हे०

- (पप) जिले का वन क्षेत्रफल हे०
 (पपप) मामले की संख्या सहित 1980 से हे०
 वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र
 (अप) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल हे०
 प्रतिकूल वनीकरण
 (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित
 वन भूमि
 (ख) वनेत्तर भूमि परतक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
 (क) वन भूमि पर हे०
 (ख) वनेत्तर भूमि पर हे०

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को
 अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक
 की विशेष सिफारिश

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

स्थान

सरकारी मोहर.....

(प्रपत्र-2.2)

भाग ()

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई हैं क्या
 इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)
 यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को
 निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें
15. क्या संबन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और
 उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन संरक्षक
 की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम और पदनाम

स्थान

सरकारी मोहर.....

(प्रपत्र-2.3)भाग—(पअ)

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें
(राज देते समय संबन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जायें)

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम ओर पदनाम

स्थान

सरकारी मोहर.....

(प्रपत्र-2.4)भाग— (ट)

वन विभाग को प्रभारी अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है

16. राज्य सरकार की सिफारिश प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित
(उपयुक्त भाग— या भाग या
भाग ट में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जायें)

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम ओर पदनाम

स्थान

सरकारी मोहर.....